न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 /2011 पुनरीक्षण R-1112-III/2011

1- अनुजप्रतापसिंह तनय भुआरसिंह
2- बजरंगबहादुरसिंह तनय भुआरसिंह
3- उदायवरसिंह तनय भुआरसिंह
4- मन्नीसिंह पत्नी स्व0 बुद्धराजसिंह
5- दुष्यंतसिंह तनय बुद्धराजसिंह
6- हिमांशुप्रतापसिंह तनय बुद्धराजसिंह
निवासीगण ग्राम माजनखुर्द तहसील सिंगरौली
जिला सिंगरौली ------ आवेदकगण

— मृत्यु - 27.9.14
— आदेश 15.3.15

विरुद्ध

1- रूपनारायणसिंह तनय स्व0 बृजनाथसिंह
निवासी माजनखुर्द पा.आ. कनी तहसील
एवं जिला सिंगरौली
2- जगतनारायणसिंह तनय स्व0 बृजनाथसिंह
निवासी धिरौली कलापो अमरौली तहसील
एवं जिला सिंगरौली
3- ताम्रध्वजसिंह तनय स्व0 बृजनाथसिंह निवासी
माजनखुर्द पो.आ. कनी जिला सिंगरौली
4- श्रीमती बूटू पत्नी रघुराजसिंह चौहान पुत्री
स्व0 बृजनाथसिंह निवासी सहवडा पोस्ट
बहरी जिला सीधी
5- श्रीमती रंगीली पत्नी तखतराजसिंह चौहान
पुत्री स्व0 बृजनाथसिंह निवासी पो.आ.
करौंदिया तहसील गोपदबनास जिला सीधी
6- श्रीमती कनी पत्नी हरिनामसिंह गहरवार पुत्री
स्व0 बृजनाथसिंह निवासी ग्राम मरहा
तहसील एवं जिला सिंगरौली

एन. के. वाजपेयी
15/07/12 को
6.7.11
म.प्र. ग्वालियर

अ. वाजपेयी
15-6-2011

--- 2

मृत्यु — 15.4.07
आवेदन — 15.3.15

फौत 7- जयरामसिंह }
8- अभिमानसिंह } पिता गोरखनाथसिंह
9- शंकरसिंह }

मृत्यु — 8.3.13
आवे. 15.3.15

10- लाखनसिंह }
11- रंगनाथसिंह } पिता पीताम्बरसिंह
12- गेदासिंह }
13- पृथ्वीराजसिंह }
14- जगजाहिरसिंह }
15- राणाप्रतापसिंह } पिता कालिकासिंह
16- अभिमर्दनसिंह }
17- गुरुप्रद्युम्नसिंह पिता दादूसिंह
18- मु0 रीताकुमारी पत्नी स्व0 रामायणप्रतापसिंह
19- तनयराजसिंह पिता रामायणप्रतापसिंह
20- नगेशसिंह पिता रामायणप्रतापसिंह
21- सर्ववास कुंवरि }
22- दुधवरणसिंह } पिता धर्मपालसिंह
23- दीपनारायणसिंह }

मृत्यु 11.2.11
आवेदन 15.3.15

24- हीरालालसिंह पिता कमलासिंह
फौत 25- विश्रामसिंह पिता कमलासिंह
26- सुदामासिंह पिता कमलासिंह
27- दलप्रतापसिंह पिता कमलासिंह
28- गोविन्दप्रतापसिंह पिता विश्वनाथसिंह
निवासीगण ग्राम माजनसुई तहसील एवं जिला सिंगरौली
29- बृहस्पतिसिंह पिता जगदम्बासिंह
30- श्रीमती शान्ति पत्नी स्व0 महेन्द्रकुमारसिंह
31- संजय }
32- रंगदेवसिंह }
33- विनोदसिंह } पुत्रगण महेन्द्रकुमारसिंह
34- विपिनसिंह }
35- विजयसिंह }
36- सविता सिंह पुत्री महेन्द्रकुमारसिंह

--- 3

37- निशासिंह पुत्री महेन्द्रकुमारसिंह
38 विनितासिंह पुत्री महेन्द्रकुमारसिंह
निवासीगण ग्राम भाजनखुर्द तहसील एवं जिला
सिंगरौली ------- अनावेदकगण

अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा प्र0क्र0 56।पुनरीक्षण। 2006-07 में पारित आदेश दिनांक 21-4-2011 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

(1) यह कि अपर आयुक्त एवं अपर कलेक्टर महोदय के विवादित आदेश अवैध,,अनियमित एवं मनमाने होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(2) यह कि इस प्रकरण से सम्बन्धित कृषि खाता स्थित ग्राम भाजनकलां जिसका कुल क्षेत्रफल 17.770 हेक्टेयर है, आवेदकगण एवं अनावेदकगण के संयुक्त स्वामित्व का खाता है। आवेदकगण एवं अनावेदकगण एक ही पूर्वज के उत्तराधिकारी हैं। परिवार की परम्परा के अनुसार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियां होती हुई चली आ रही हैं। परिवार में आपसी रूप से अनेकों वर्ष पूर्व बंटवारा हो गया था। आपसी बंटवारे के अनुसार आवेदकगण अपने हिस्से पर वास्तविक आधिपत्य में हैं। आवेदकगण के पक्के मकान अपने हिस्से की भूमि पर बने हुये हैं तथा आवेदकगण अपने भाग की भूमि पर कृषि कर रहे हैं।

(3) यह कि अनावेदकगण क्रमांक 1 से 6 तक के पूर्वाधिकारी बृजनाथसिंह द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा-178 के अन्तर्गत बंटवारे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में आवेदकगण ने उपस्थित होकर पूर्व में हुये पारिवारिक बंटवारे का अभिकथन करते हुये बंटवारा किये जाने की प्रार्थना की। आवेदकगण के आवेदन पर तहसीलदार ने आपत्तियों की सुनवायी कर आवेदकगण को निर्देशित किया कि वे अपने अभिकथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करें।

--- 4

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-1112-III/11 जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/8/16	आवेदक अभि० श्री एस० केवलानी उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक श्री आर० डी० शर्मा उपस्थित। 2- उभयपक्ष अभिभाषकगण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। 3- अभिभाषकगण के तर्क उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित कर निर्देश दिये जाते हैं कि म०प्र०भू-राजस्व संहिता की धारा-178 के प्रावधान अनुसार यदि स्वत्व का प्रश्न है तो इसका निराकरण सिविल कोर्ट ही कर सकता है। तहसीलदार द्वारा दिनांक 15/6/05 को साक्ष्य हेतु नियत किया गया है अनावेदकगण यदि सहमत नहीं है एवं अपना दावा प्रमाणित करना चाहता है तो सिविल कोर्ट से अथवा तहसील न्यायालय में साक्ष्य से ही उसका निराकरण हो सकता है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	

[कृ. प. उ.